

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा-मा/सी-५/स्थानांतरण/वि.विषय/2019-20/ १-१६३ दिनांक-२९.०९.२०१९ के तहत विनोद कुमार वर्मा, व्याख्याता, उर्दू राउमावि खिरणी, सवाई माधोपुर का स्थानांतरण राउमावि जिवाणा सायला, जालोर किया गया। विनोद कुमार वर्मा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 17514/19 विनोद कुमार वर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 17514/19 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2019 द्वारा अधिकरण को याचिकार्थी की याचिका पर सुनवाई के निर्देश देकर सिविल सेवा अपील अधिकरण के आगामी आदेश तक याचिकार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं करने तथा याचिकार्थी के विरुद्ध कोई अवपीड़क कार्यवाही अमल में नहीं लाने के आदेश प्रदान किये।

माननीय उच्च न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी विनोद कुमार वर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक कारणों से, एवं दोहरा पदस्थापन की स्थिति बनने के कारण अपना पदस्थापन राउमावि बिनाई, अजमेर के रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी विनोद कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण एवं मनन किया गया, याचिकार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों/दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण इनका पदस्थापन/समायोजन राउमावि बिनाई, अजमेर व्याख्याता उर्दू के रिक्त पद पर किया जा कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हो।


(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-५/अभ्यावेदन/19-20/उ४

दिनांक:- १/१२/२०१९

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
04. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, को सूचनार्थ।
05. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा-मा/सी-5/स्थानांतरण/भूगोल/2019-20/1-575 दिनांक-29.09.2019 के तहत रेखा गोठवाल, व्याख्याता, भूगोल राउमावि रलावता, खण्डेला सीकर का स्थानांतरण राउमावि मुण्डी ताल, राजगढ़, तारानगर, चूरू किया गया। रेखा गोठवाल ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19341/19 रेखा गोठवाल बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 19341/19 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2019 द्वारा अधिकरण को याचिकार्थीया की याचिका पर सुनवाई के निर्देश देकर सिविल सेवा अपील अधिकरण के आगामी आदेश तक याचिकार्थीया को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं करने तथा याचिकार्थीया के विरुद्ध कोई अवपीड़क कार्यवाही अमल में नहीं लाने के आदेश प्रदान किये।

माननीय उच्च न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थीया रेखा गोठवाल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं का तलाक पारिवारिक न्यायालय में लम्बित होने, उक्त आधार पर एकल महिला होने एवं पारिवारिक कारणों से अपना पदस्थापन राउमावि ढाणी बाढ़ान खेतड़ी, झुंझुनू के रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीया रेखा गोठवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण एवं मनन किया गया, याचिकार्थीया की पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए इनका पदस्थापन/समायोजन राउमावि ढाणी बाढ़ान खेतड़ी, झुंझुनू व्याख्याता भूगोल के रिक्त पद पर किया जा कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हो।


(नित्यमल डिडेल)

आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/अभ्यावेदन/19-20/उ83

दिनांक:- २/१२/2019

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
04. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, को सूचनार्थ।
05. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।


— संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर